



Public Notice

Requirement of Aadhaar for the Applicants of JEE (Main) 2018

In reference to admission notice for JEE(Main) 2018 published in the news papers regarding provision of Aadhaar at the time of filling online application for JEE(Main) 2018, following is being clarified ;

1. The use of Aadhaar for the applicants of JEE (Main) 2018 will result in accuracy of the applicants' details. This will also help in ascertaining identities of the applicants at the examination centres in a convenient and hassle free manner. Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.
2. The provisions of the Aadhaar Act and Regulations under the Act have come into effect from 14th September 2016 and notifications to this effect have been published in the Official Gazette. Section 57 of the Aadhaar Act 2016 permits the use of Aadhaar number for establishing the identity of an individual for any purpose pursuant to any law or any contract to this effect.
3. Accordingly, CBSE has decided to use Aadhaar for the applicants of JEE (Main) 2018, and hereby notifies the following:
 - 3.1 Applicants who are in possession of Aadhaar, shall enter Aadhaar number, name, date of birth & gender in online application for JEE(Main) 2018 for the purpose of his/her identity and authentication thereof.
 - 3.2 Applicants not yet enrolled for Aadhaar, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment in case he/she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act. Such applicant may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
4. The above provisions shall be applicable in all states except J&K, Assam & Meghalaya.
5. The applicants who have passed or appearing in Class XII examination from the states of J&K, Assam & Meghalaya need to enter the passport number, ration card number, bank account number or any other valid Govt. identity number provided they should select the city of examination in these states only.

Executive Director (JAB)



सार्वजनिक सूचना

जेईई (मेन) - 2018 के आवेदकों के लिए आधार की आवश्यकता

जेईई (मेन) - 2018 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रवेश सूचना के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

- जेईई (मेन)-2018 के आवेदकों के लिए आधार का उपयोग करने से आवेदकों के विवरण में प्रमाणिकता आएगी। इसमें परीक्षा केन्द्रों में सुविधाजनक तथा बिना परेशानी के आवेदकों के पहचान को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। आधार होने पर किसी एक आवेदक की पहचान को प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आधार अधिनियम के प्रावधान तथा अधिनियम के अंतर्गत विनियम 14 सितम्बर 2016 से प्रभावी हैं और इस संबंध में अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गयी है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 57 इस संबंध में किसी कानून या किसी अनुबंध के अनुपालन के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- तदनुसार, सीबीएसई ने जेईई (मेन)-2018 के आवेदकों के लिए आधार का उपयोग करने का निर्णय लिया है और एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है:
 - आधार धारक आवेदकों को जेईई (मेन)-2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि एवं लिंग डालना होगा, ताकि उनकी पहचान तथा प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।
 - वैसे आवेदक, जिन्होंने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, आधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के पात्र आवेदकों को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को आधार के लिए नामांकन कराने हेतु आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाना होगा।
- उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होंगे।
- जिन आवेदकों ने कक्षा 12 की परीक्षा जम्मू एवं कश्मीर, असम तथा मेघालय राज्यों से उत्तीर्ण की है अथवा इन राज्यों में कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं को अपनी पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या या अन्य कोई वैध सरकारी पहचान संख्या डालनी होगी और उन्हें केवल इन्हीं राज्यों के परीक्षा केन्द्र शहरों का चयन करना होगा।

अधिसूचना निदेशक (जे.ए.बी.)